पहला अध्याय : सामान्य

कार्यपालिक सारांश

इस अध्याय में हमने क्या रेखांकित किया है	इस अध्याय में राज्य शासन द्वारा ली गई राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति, बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों में अंतर, लेखापरीक्षा के प्रति शासन की प्रतिक्रिया, विभागीय लेखापरीक्षा समिति बैठकों की स्थिति, पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन, लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए विषयों पर शासन/विभागों द्वारा कार्यवाही करने की प्रक्रिया, निरीक्षण प्रतिवेदनों में लंबित कंडिकाओं की स्थिति, वाणिज्यिक कर के निष्पादन लेखा परीक्षाओं में दिए गए सुझाव पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही एवं वर्ष 2011-12 के लेखापरीक्षा के परिणाम को प्रस्तुत किया गया है।
राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा ली गई प्राप्तियों में कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व ₹ 14,770.73 करोड़ कुल राजस्व प्राप्तियों का 57 प्रतिशत था। शेष 43 प्रतिशत प्राप्तियों की राशि ₹ 11,096.65 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त हुआ।
निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल कंडिकाओं का अनुपालन न होना	दिसम्बर 2011 तक जारी 2,185 निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल 8,428 कंडिकाएँ राशि ₹ 4,495.26 करोड़ जून 2012 तक अनुपालन के अभाव में लंबित थे। निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के भीतर प्रथम उत्तर प्राप्त होना आवश्यक था परन्तु मार्च 2012 तक 39 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर विभाग प्रमुखों से प्राप्त (30 जून 2012) नहीं हुए, उत्तरों के प्राप्त नहीं होने से निरीक्षण प्रतिवेदन की अधिक लंबित संख्या इस तथ्य को दर्शित करती है कि कार्यालय/विभाग प्रमुख निरीक्षण प्रतिवेदन में महालेखाकार द्वारा इंगित त्रुटियों, लोप और अनियमितताओं को सुधारने में असफल रहे।
पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए राशि की कम वसूली	वर्ष 2006-07 से 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किए गए प्रकरण में विभागों द्वारा ₹ 534.53 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की गई जिसमें मार्च 2012 तक मात्र ₹ 39.97 करोड़ (7.48 प्रतिशत) की राशि वसूल की गई।

विभागीय लेखा परीक्षा समिति बैठकें	वर्ष 2011-12 में हमने पाया कि चार विभागों द्वारा सात[1] विभागीय लेखा परीक्षा समिति बैठकें की गई जिसमें राशि ₹105.31 करोड़ के 188 कंडिकाएँ निर्णित की गई जबकि अन्य विभागों द्वारा विभागीय लेखा परीक्षा समिति बैठकों के लिए कोई पहल नहीं की गई। अतः यह अनुशंसा की जाती है कि शासन सामयिक रूप से सभी विभागों का विभागीय लेखा परीक्षा समिति बैठक आयोजन करना सुनिश्चित करें ताकि लंबित कंडिकाओं को शीघ्र एवं प्रभावी रूप से निराकरण किया जा सके।
लेखापरीक्षा से प्रेरित होकर किए गए संशोधन	लेखापरीक्षा से प्रेरित होकर विभाग/शासन ने नियमों में अधिसूचना/परिपत्र द्वारा बदलाव किए। परिवहन विभाग द्वारा कर निर्धारण व्हील बेस के आधार पर नहीं किया जा रहा था एवं वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा मोबाइल यंत्र पर प्रवेश कर नहीं लिया जा रहा था। लेखापरीक्षा द्वारा रेखांकित किए जाने पर संबंधित विभाग ने नियमों में आवश्यक संशोधन किए गये।
हमारा निष्कर्ष	वर्ष 2011-12 की अवधि के दौरान ₹ 555.69 करोड़ की वित्तीय प्रभाव से संबंधित लेखा परीक्षा प्रेक्षण जारी किए गए। शासन/विभागों द्वारा ₹ 106.24 करोड़ के प्रेक्षण स्वीकार किए गए। यह सिफारिश की जाती है कि शासन स्वीकृत मामलों की राशि शीघ्र वसूल करने के लिए प्रयास करे। पाँच वर्ष से अधिक अवधि के लिए बकाया राजस्व राशि कुल लंबित राशि का 29.58 प्रतिशत था। राज्य सरकार जल्द से जल्द लंबित राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करे। शासन द्वारा लेखा परीक्षा प्रेक्षणों के प्रति उत्तर में प्रभावी प्रक्रिया लागू करने के लिए शीघ्र एवं उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए एवं उन अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करें जिन्होने निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं का जवाब तय समय सीमा पर नहीं भेजा और समयबद्ध तरीके से हानि/बकाया राजस्व को वसूल करने हेतु कार्यवाही करने में विफल रहे है।

[1] पंजीयन, वाणिज्यिक कर और खनन एवं उत्खनन द्वारा एक-एक, वन विभाग द्वारा चार लेखापरीक्षा समिति बैठकें आयोजित की गई।

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2011-12 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहित कर तथा कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य निवल आगम संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश एवं सहायता अनुदान एवं इससे संबंधित विगत चार वर्ष के आँकड़े नीचे वर्णित हैः

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	**राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व**					
	•कर राजस्व	5,618.08	6,593.72	7,123.25	9,005.14	10,712.25
	•कर भिन्न राजस्व	2,020.45	2,202.21	3,043.00	3,835.32	4,058.48
	योग	**7,638.53**	**8,795.93**	**10,166.25**	**12,840.46**	**14,770.73**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	•विभाज्य निवल आगम संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	4,035.00	4,257.91	4,380.66	5,425.19	6,320.44[2]
	•सहायता अनुदान	2,205.12	2,608.92	3,606.74	4,453.89	4,776.21
	योग	**6,240.12**	**6,866.83**	**7,987.40**	**9,879.08**	**11,096.65**
3.	**राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 और 2)**	**13,878.65**	**15,662.76**	**18,153.65**	**22,719.54**	**25,867.38**
4.	**1 से 3 का प्रतिशत**	**55**	**56**	**56**	**57**	**57**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि राज्य शासन द्वारा संग्रहित कुल राजस्व में वर्ष 2011-12 के दौरान 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, इसके विरूद्ध पिछले वर्ष में 26 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। इसी तरह, भारत सरकार से प्राप्तियों में पिछले वर्ष के 24 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व कुल राजस्व का 57 प्रतिशत रहा जो पिछले वर्ष के समतुल्य रहा। वर्ष 2011-12 के दौरान शेष राजस्व 43 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

[2] विवरण के लिय कृपया छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखा वर्ष 2011-12 (कर राजस्व) तालिका 11 राजस्व का लघु शीर्षवार लेखा देखें। मुख्य शीर्ष 0020- कॉरपोरेशन कर, 0021- आय कर कार्पोरेशन कर को छोड़कर, 0032- संपत्ति कर, 0037- सीमा शुल्क, 0038-संघ उत्पाद शुल्क एवं 0044- सेवा कर के अंतर्गत लघु शीर्ष 901- राज्यों को समानुदेशित निवल आगामों का हिस्सा के दर्ज राशि कर-राजस्व के अंतर्गत दिखाए गए है, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर, विभाज्य संघीय करों में राज्यांश में सम्मिलित किया गया।

1.1.2 वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान संग्रहित कर राजस्व के विवरण नीचे तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2010-11 की तुलना में 2011-12 आधिक्य (+) या कमी (-) का प्रतिशत
1.	वाणिज्यिक कर	2,502.69	2,946.78	3,031.16	4,094.96	4,886.25	19.32
	केन्द्रीय विक्रय कर	521.00	664.16	681.00	745.83	1,120.00	50.17
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	843.10	964.10	1,187.72	1,506.44	1,596.98	6.01
3.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	462.72	495.59	583.13	785.85	845.82	7.63
4.	विद्युत पर कर और शुल्क	394.85	415.10	416.91	502.53	637.97	26.95
5.	वाहनों पर कर	276.94	313.78	351.88	427.52	502.18	17.46
6.	माल और यात्रियों पर कर	510.72	420.71	696.10	675.14	825.67	22.30
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर होटल प्राप्ति कर सहित व्यवसाय, वृत्ति, व्यवसाय एवं रोजगार पर कर	11.54	7.68	8.81	8.82	11.07	25.51
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	6.40	6.33	6.86	10.68	15.75	47.33
9.	भू-राजस्व	88.12	359.49	159.68	247.37	270.56	9.37
योग		**5,618.08**	**6,593.72**	**7,123.25**	**9,005.14**	**10,712.25**	**18.95**

(स्रोत :छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

संबंधित विभागों द्वारा प्राप्तियों में अंतर का कारण नीचे वर्णित है:

वाणिज्यिक कर एवं केंन्द्रीय विक्रय कर : वृद्धि (19.32 और 50.17 प्रतिशत) लौह अयस्क, सीमेंट और कोयला के दाम में वृद्धि होने से, आगत कर पर दिये गए छूट का प्रतिसत्यापन, कर अपवंचन के विरूद्ध उठाए गए कदम एवं केन्द्रीय बिक्री कर के अंतर्गत अंतरर्राज्यीय बिक्री में वृद्धि के कारण हुई।

राज्य उत्पाद : वृद्धि (6.01 प्रतिशत) प्रक्रिया शुल्क से आय और शराब की बिक्री में वृद्धि के कारण हुई।

मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क : वृद्धि (7.63 प्रतिशत) दस्तावेजों की पंजीकरण की संख्या में बढ़ोतरी एवं अप्रैल 2011 से संपत्ति के बाजार मूल्य में संशोधन की वजह से हुई।

विद्युत पर कर और शुल्क : वृद्धि (26.95 प्रतिशत) समझौता फीस के रूप में अतिरिक्त राजस्व के कारण हुई।

वाहनों पर कर : वृद्धि (17.46 प्रतिशत) नवम्बर 2010 से कर की दरों में वृद्धि और राजस्व की वसूली के लिए किए गए प्रयासों के कारण हुई।

अन्य विभागों से अनुरोध (अप्रैल 2012) किए जाने के बावजूद भी अंतर के कारणों को सूचित नहीं किया गया (दिसम्बर 2012)।

1.1.3 वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक राज्य द्वारा संग्रहित कर - भिन्न राजस्व के विवरण नीचे तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2010-11 की तुलना में 2011-12 आधिक्य (+) या कमी (-) का प्रतिशत
1.	अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग	1,031.55	1,243.24	1,660.87	2,470.44	2,744.82	11.11
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	258.08	322.29	345.85	305.17	341.64	11.95
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	205.61	237.40	220.70	170.95	216.57	26.69
4.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	97.62	126.04	105.37	222.00	336.49	51.57
5.	अन्य कर - भिन्न प्राप्तियाँ	96.43	135.17	537.82	602.01	325.05	(-) 46.01
6.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	7.62	1.67	35.67	10.26	21.11	105.75
7.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	10.59	11.49	13.03	15.97	16.36	2.44
8.	पुलिस	12.31	8.22	6.69	18.22	19.41	6.53
9.	लोक निर्माण	11.67	13.59	14.61	15.74	15.81	0.44
10.	विविध सामान्य सेवाएँ	281.84	95.58	96.97	(-)0.84	0.74	188.10
11.	सहकारिता	7.13	7.52	5.42	5.40	20.48	279.26
योग		**2,020.45**	**2,202.21**	**3,043.00**	**3,835.32**	**4,058.48**	**5.82**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

संबंधित विभागों द्वारा प्राप्तियों में अंतर का कारण नीचे वर्णित है:

अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग : वृद्धि (11.11 प्रतिशत) कोयला, लौह अयस्क और चूना पत्थर के उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई।

ब्याज प्राप्तियाँ : ब्याज प्राप्तियों में वृद्धि (26.69 प्रतिशत) रोकड़ शेष के निवेश पर ज्यादा ब्याज प्राप्त होने से हुई।

वृहद एवं मध्यम सिंचाई : वृद्धि (51.57 प्रतिशत) कृषकों और औद्योगिक संस्थानों द्वारा जलकर जमा करने के कारण हुई।

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों में अंतर

वर्ष 2011-12 में कर एवं कर भिन्न राजस्व के प्रमुख शीर्ष के संबंध में बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के मध्य अंतर नीचे वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	अंतर अधिक (+) या कमी (-)	अन्तर प्रतिशत
क. कर राजस्व					
1.	विक्रय, व्यापार पर कर इत्यादि	6,000.00	6,006.25	(+) 6.25	0.10
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,550.00	1,596.98	(+) 46.98	3.03
3.	विद्युत पर कर एवं अन्य शुल्क	632.51	637.97	(+) 5.46	0.86
4.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	875.00	845.82	(-) 29.18	(-) 3.33
5.	माल एवं यात्रियों पर कर	700.00	825.67	(+) 125.67	17.95
6.	वाहनों पर कर	475.00	502.18	(+)27.18	5.72
7.	भू - राजस्व	250.00	270.56	(+) 20.56	8.22
8.	आय एवं व्यय पर अन्य कर व्यवसाय, वृत्ति, व्यवसाय एवं रोजगार पर कर	3.00	7.80	(+) 4.80	160.00
9.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	6.84	15.75	(+) 8.91	130.26
10.	होटल शुल्क प्राप्तियाँ कर	2.30	3.27	(+) 0.97	42.17
ख. कर भिन्न राजस्व					
1.	अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग	2,700.00	2,744.82	(+) 44.82	1.66
2.	वानिकी एवं वन्य जीव	400.00	341.64	(-)58.36	(-)14.59
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	302.40	216.57	(-) 85.83	(-)28.38
4.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	282.71	336.49	(+) 53.78	19.02
5.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	22.15	21.11	(-) 1.04	(-)4.70
6.	विविध सामान्य सेवाएँ	18.32	16.36	(-) 1.96	(-)10.70
7.	पुलिस	13.50	19.41	(+) 5.91	43.78
8.	लोक निर्माण	10.37	15.81	(+) 5.44	52.46
9.	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	6.50	6.59	(+) 0.09	1.38
10.	जेल-अन्य प्राप्तियाँ	1.81	2.30	(+) 0.49	27.07

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के आंकड़ों में (-) 28.38 से 160 प्रतिशत अंतर रहा।

संबंधित विभागों द्वारा दिये गए अंतर का कारण नीचे वर्णित है:

मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्कः कमी (3.33 प्रतिशत) वर्ष 2011-12 के दौरान महिलाओं को हस्तांतरण विलेख के मुद्रांक शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट दिये जाने के कारण हुई।

वाहनों पर कर : वृद्धि (5.72 प्रतिशत) कर की दर बढ़ने एवं नए वाहनों के पंजीकरण की संख्या में वृद्धि की वजह से हुई।

विद्युत पर कर और शुल्क : वृद्धि (0.86 प्रतिशत) समझौता शुल्क के रूप में अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने से हुई।

राज्य उत्पादः वृद्धि (3.03 प्रतिशत) शराब की बिक्री में वृद्धि के कारण हुई।

1.3 कुल बकाया राजस्व एवं पाँच साल से अधिक बकाया राजस्व का विश्लेषण

विभागों द्वारा कुछ प्रमुख राजस्व शीर्ष में 31 मार्च 2012 तक बकाया राजस्व ₹ 719.92 करोड़ सूचित किया गया जिसमें से ₹ 212.96 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित था, नीचे वर्णित हैः

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2012 तक बकाया राशि	31 मार्च 2012 तक पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि
1	विक्रय, व्यापार पर कर आदि	556.09	156.53
2	वाहनों पर कर	9.50	4.15
3	राज्य उत्पाद शुल्क	24.88	22.79
4	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	5.03	2.87
5	विद्युत पर कर एवं शुल्क	97.98	10.15
6	अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग	1.65	1.54
7	वानिकी एवं वन्य जीव	1.62	0.24
8	भू - राजस्व[3]	23.17	14.69
योग		**719.92**	**212.96**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका इंगित करता है कि पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि, कुल बकाया राशि का 29.58 प्रतिशत था।

अतः राज्य शासन को यह अनुशंसा की जाती है कि बकाया राशियों की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करें।

1.4 कर अपवंचन

वर्ष 2011-12 के दौरान विभागों द्वारा कर अपवंचन के खोजे गए प्रकरणों, अंतिम रूप से निराकृत किए गए प्रकरणों एवं विभागों द्वारा यथा सूचित अतिरिक्त कर माँगों के विवरण नीचे वर्णित हैः

[3] 27 जिलों में से केवल 14 की जानकारी प्राप्त है।

स. क्र.	विभाग का नाम	31 मार्च 2011 तक लंबित प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2011-12 के दौरान के प्रकरण	कुल	ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/अन्वेषण कर अतिरिक्त मांग शास्ति आदि सम्मिलित कर समुत्थापित की गई		31 मार्च 2012 तक लंबित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	वाणिज्यिक कर	93	56	149	41	100.07	108
2.	आबकारी	2	निरंक	2	निरंक	निरंक	2

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा 31 मार्च 2012 की स्थिति में कुल प्रकरणों में से केवल 28 प्रतिशत प्रकरण एवं राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा कोई भी प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया, जो निराकरण के लिए एक वर्ष से अधिक समय से लंबित था।

1.5 प्रतिदाय

विभागों द्वारा सूचित किए गए अनुसार वर्ष 2011-12 के प्रारंभ में लंबित प्रतिदाय प्रकरण, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान स्वीकृत प्रतिदायों और वर्ष 2011-12 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या नीचे वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	प्रारम्भिक शेष		प्राप्त प्रकरण		अनुमत्य प्रतिदाय		अंत शेष	
	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
वाणिज्यिक कर	129	4.63	2,048	2,010.64	2,045	2,012.32	132	**2.95**
राज्य उत्पाद शुल्क	2	0.01	70	8.55	70	8.55	2	**0.01**
योग	**131**	**4.64**	**2,118**	**2,019.19**	**2,115**	**2,020.87**	**134**	**2.96**

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि 94 प्रतिशत से ज्यादा प्रकरणों में प्रतिदाय स्वीकार किए गए।

1.6 लेखा परीक्षा के प्रति विभागों/शासन की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ के द्वारा शासन के विभागों के लेन देन की नमूना जाँच का सामयिक निरीक्षण कर यह सत्यापित करना की महत्वपूर्ण लेखों और अन्य अभिलेखों का संधारण निर्धारित नियमों और विधि के अनुसार किया जा रहा है। इन निरीक्षणों के अनुसरण में जाँच के दौरान पायी गयी अनियमित्ताएँ जिनका स्थल पर निराकरण नहीं किया जा सका, को निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर विभागाध्यक्ष को जारी करते है तथा उसकी प्रति उच्च अधिकारियों को शीघ्र सुधार कार्य करने के लिए भेजा जाता है। कार्यालय प्रमुख/शासन द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित आपत्तियों पर अनुपालन किया जाना अपेक्षित है, लोप और त्रुटियों को सुधार कर प्रारम्भिक उत्तर के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को निरीक्षण प्रतिवेदन के जारी किए जाने के दिनांक से एक माह के भीतर देना होता है। गंभीर वित्तीय अनियमित्ताएँ विभाग के प्रमुख और शासन को प्रतिवेदित किया जाता है।

1.6.1 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षण

दिसम्बर 2011 तक जारी 2,185 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 8,428 कंडिकाओं में ₹ 4,495.26 करोड़ की राशि जून 2012 को लंबित थी जो पिछले दो वर्षों के आंकड़ों के साथ नीचे दर्शित है:

विवरण	जून 2010	जून 2011	जून 2012
निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1,990	2,094	2,185
लंबित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	7,462	7,874	8,428
सन्निहित राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	3,313.41	3,429.36	4,495.26

30 जून 2012 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों, लेखापरीक्षा प्रेक्षण एवं उसमें सन्निहित राजस्व का विभागवार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

स. क्र.	विभाग का नाम	वसूली की प्रकृति	लंबित नि. प्रति. की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1.	वित्त	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	373	2,417	348.81
		मनोरंजन कर	67	85	1.99
2.	मुद्रांक एवं पंजीयन	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	254	617	34.43
3.	राजस्व	भू- राजस्व	531	1,602	406.77
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	121	846	113.96
5.	उत्पाद	राज्य उत्पाद	114	337	335.10
6.	भौमिकी एवं खनन	अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	127	447	800.77
7.	वन (राजस्व)	वन प्राप्तियाँ	299	999	1,107.14
8.	ऊर्जा	विद्युत पर कर एवं शुल्क	11	36	695.10
9.	अन्य कर विभाग	अन्य कर प्राप्तियाँ	288	1,042	651.19
योग			**2,185**	**8,428**	**4,495.26**

1.7 राज्य शासन के प्रति उत्तरदायित्व एवं शासन हितों के संरक्षण में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता

निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के भीतर प्रथम उत्तर प्राप्त होन आवश्यक है परन्तु मार्च 2012 तक 39 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर विभाग प्रमुखों से प्राप्त नहीं हुए। निरीक्षण प्रतिवेदन की अधिक लंबित संख्या इस तथ्य को दर्शित करती है कि कार्यालय/विभाग प्रमुख निरीक्षण प्रतिवेदन में महालेखाकार द्वारा इंगित त्रुटियों, लोप और अनियमित्ताओं को सुधारने में पहल नहीं किये।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन प्रभावकारी प्रक्रिया की संस्थापना करने हेतु जरूरी कदम उठाए जिससे लेखा परीक्षा आपत्तियों पर उचित कार्यवाही हो।

1.8 विभागीय लेखा परीक्षा समिति बैठकें

शासन द्वारा लेखा परीक्षा समिति की स्थापना (विभिन्न समय के दौरान) निरीक्षण प्रतिवेदन और निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति की समीक्षा एवं निगरानी और प्रगति को त्वरित करने के लिए की गई। वर्ष 2011-12 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों का विवरण तथा निराकृत कंडिकाओं का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

राजस्व शीर्ष	बैठकों की संख्या	निराकृत कंडिकाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	1	28	3.70
वाणिज्यिक कर	1	16	2.01
अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग	1	14	10.32
वानिकी एवं वन्य जीव (राजस्व)	4	93	60.10
वानिकी एवं वन्य जीव (व्यय)		37	29.18
योग	**7**	**188**	**105.31**

ऊपर वर्णित ब्यौरे के आधार पर यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2011-12 के दौरान तीन विभागों द्वारा प्रत्येक एक एवं वन विभाग द्वारा चार बैठक आहुत की गयी जिसमें 188 कंडिकाएँ (जिसमें ₹105.31 करोड़ सम्मिलित है) निराकृत की गयी। अन्य विभागों द्वारा कोई रूचि नहीं दिखाई गयी।

यह सिफारिश की जाती है कि शासन लंबित कंडिकाओं के प्रभावी एवं त्वरित निराकरण के लिए सभी विभागों द्वारा सामयिक विभागीय लेखापरीक्षा समिति बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करें।

1.9 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए महालेखाकार द्वारा विभागों को भेजे गए प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर को संबंधित विभागों के सचिवों को अर्धशासकीय पत्र प्रेषित कर छः सप्ताह के अंदर उनका जवाब भेजने के लिए कहा गया था। शासन से उत्तर अप्राप्ति के संबंध में इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की संबंधित कंडिका के अंत में इंगित किया गया है।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित 40 प्रारूप कंडिकाओं को संबंधित विभागों के सचिवों को अप्रैल 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य भेजा गया। 40 प्रारूप कंडिकाओं में से 23 कंडिकाओं की आपत्ति को विभाग ने स्वीकार किया।

1.10 लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुसरण - सारांश स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर प्रस्तुत होने के तिथि से तीन माह के अंदर प्रतिवेदन के सभी कंडिकाओं के व्याख्यात्मक

उत्तर (विभागीय टिप्पणी) सभी विभागों को लेखा परीक्षा के मत के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिवालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

मार्च 2012 की स्थिति में भू-राजस्व विभाग ने वर्ष 2004-05 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल एक कंडिका के संबंध में विभागीय टिप्पणी निम्न विवरण के अनुसार 69 माह के विलंब के बावजूद लेखा परीक्षा के मतांकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था जैसा कि तालिका में नीचे वर्णित है:

स. क्र.	विभाग का नाम	प्रतिवेदन का वर्ष	विधान सभा को प्रस्तुत करने का दिनांक	अंतिम दिनांक जबसे विभागीय टिप्पणी देय थी	कंडिकाओं की संख्या जिनकी विभागीय टिप्पणी देय थी	मार्च 2012 के अंत तक महीनों में विलंब
1	भू-राजस्व	2004-05	23.3.2006	23.6.2006	1	69

कार्यपालिका के दायित्व को सुनिश्चित करने हेतु लोक लेखा समिति/(लो.ले.स.) ने समय सीमा निर्धारित की है, जिसके अंतर्गत की गई कार्यवाही की टीप अनुशंसा सहित संबंधित को प्रेषित किया जाता है। लो. ले. स. ने वर्ष 1998-99 से 2009-10 तक की अवधि के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के 92 चयनित कंडिकाओं पर चर्चा की, तथा 40 कंडिकाओं पर अपनी अनुशंसा दी। परंतु संबंधित विभाग द्वारा निम्न विवरण के अनुसार पाँच अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही की टीप अपेक्षित थी, जैसा कि तालिका में नीचे वर्णित है:

वर्ष	विभाग का नाम					कुल
	राज्य उत्पाद	उर्जा	पंजीयन	परिवहन	भौमिकी एवं खनिकर्म	
1998-99	-	-	-	-	1	1
1999-00	1	1	-	-	-	2
2000-01	-	-	1	1	-	2
कुल	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**

1.11 पूर्व लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में अवनिर्धारण, करों का अनारोपण/कम आरोपण राजस्व की हानि, माँग सृजित करने में विफलता इत्यादि के ₹ 744.11 करोड़ के प्रकरण इंगित किए गए। विभागों द्वारा ₹ 534.53 करोड़ (वाणिज्यिक करः ₹ 54.33 करोड़, मुद्रांक शुल्कः ₹ 1.77 करोड़, राज्य उत्पादः ₹ 11.63 करोड़, परिवहनः ₹ 11.10 करोड़, भू-राजस्वः ₹ 2.78 करोड़, उत्खनन ₹ 6.96 करोड़, वनः ₹10.66 करोड़, विद्युतः ₹ 50.86 करोड़, एवं अन्य ₹ 384.44 करोड़) की लेखा परीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की, जिसमें मार्च 2012 तक मात्र ₹ 39.97 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल राशि	स्वीकृत राशि	मार्च 2012 तक वसूल की गई राशि
1.	2006-07	15.99	2.92	2.33
2.	2007-08	92.87	52.88	5.40
3.	2008-09	486.08	446.79	28.78
4.	2009-10	99.21	20.89	3.30
5.	2010-11	49.96	11.05	0.16
योग		**744.11**	**534.53**	**39.97**

ऊपर वर्णित तालिका से यह देखा जा सकता है कि स्वीकृत राशि में से पिछले पाँच वर्षों में विभागों द्वारा केवल 7.48 प्रतिशत की वसूली की गई।

यह सिफारिश की जाती है कि कम से कम स्वीकृत प्रकरणों में राजस्व की त्वरित वसूली के लिए शासन द्वारा उचित कदम उठाए जाए।

1.12 लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गए विषयों पर कार्यवाही करने हेतु प्रक्रिया का विश्लेषण करना

क्रमवार अनुच्छेद **1.12.1** और **1.12.2** में **वाणिज्यिक कर विभाग** की प्रगति के बारे में चर्चा की जा रही है जिसमें पिछले 10 वर्षों में ऐसे प्रकरण जो स्थानीय लेखा परीक्षा के दौरान पाये गये। साथ ही साथ ऐसे प्रकरण भी है, जो वर्ष 2002-03 से 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लिए गए है। .

1.12.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की सारांश स्थिति इन प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाएँ और 31 मार्च 2012 के अनुसार उनकी स्थिति तालिका में नीचे दी गई है:

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान जोड़े गए			वर्ष के दौरान निराकृत प्रकरण			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹करोड़ में)	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹करोड़ में)	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹करोड़ में)	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹करोड़ में)
2002-03	239	1,553	181.41	5	80	7.20	5	30	0.91	244	1,603	187.70
2003-04	244	1,603	187.70	12	136	61.32	1	111	36.34	255	1,628	212.68
2004-05	255	1,628	212.68	13	141	9.24	निरंक	43	17.73	268	1,726	226.12
2005-06	268	1,726	226.12	14	115	15.40	निरंक	71	2.82	282	1,770	238.70
2006-07	282	1,770	238.70	16	190	20.04	1	30	0.52	297	1,930	258.23
2007-08	297	1,930	258.23	2	26	2.50	निरंक	1	0.006	299	1,955	260.72
2008-09	299	1,955	260.72	20	142	14.31	निरंक	43	0.39	319	2,054	274.64
2009-10	319	2,054	274.64	32	320	63.34	1	72	17.27	350	2,302	320.71
2010-11	350	2,302	320.71	27	195	38.88	10	113	17.24	367	2,384	342.35
2011-12	367	2,384	342.35	10	67	9.22	निरंक	18	4.21	377	2,433	347.36

यह सिफ़ारिश की जाती है कि विभाग/शासन राजस्व हित में लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु उचित एवं सामयिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1.12.2 निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाए गए विषयों पर शासन/विभाग द्वारा दिया गए आश्वासन

1.12.2.1 स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

पिछले दस वर्षों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गई कंडिकाएँ जो वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए तथा जिनसे राशि वसूल की गई है विवरण नीचे तालिका में वर्णित है:

(₹ लाख में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	शामिल की गई कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की कुल राशि	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं की कुल संख्या	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	स्वीकृत प्रकरणों में वसूली की संचयी स्थिति
2001-02	7	593.32	निरंक	निरंक	निरंक	17.20
2002-03	11	501.65	निरंक	निरंक	निरंक	0.92
2003-04	10	2,999.41	निरंक	निरंक	निरंक	0.96
2004-05	9	301.76	1	13.92	निरंक	निरंक
2005-06	14	429.00	निरंक	निरंक	6.11	6.11
2006-07	10	210.88	2	24.35	निरंक	6.11
2007-08	7	73.43	1	31.59	निरंक	निरंक
2008-09	4	4,946.24	1	4,749.30	निरंक	निरंक
2009-10	5	336.32	5	336.32	निरंक	निरंक
2010-11	10	1,842.71	7	202.29	निरंक	निरंक
योग	**87**	**12,234.72**	**17**	**5,357.77**	**6.11**	**31.30**

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2001-02 से 2010-11 तक की अवधि में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 87 कंडिकाओं (सन्निहित राजस्व ₹ 122.35 करोड़) में से 17 कंडिकाएँ सन्निहित राजस्व ₹ 53.58 करोड़ विभाग द्वारा स्वीकृत की गई, जिसके विरूद्ध मात्र ₹ 31.30 लाख (0.58 प्रतिशत) ही वसूल की गई।

स्वीकृत प्रकरणों की वसूली हेतु विभाग में मौजूदा यान्त्रिकी प्रणाली के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने सूचित किया कि सभी स्वीकृत मामलों में व्यापारियों को वसूली हेतु मांग पत्र जारी कर दिया गया है। यदि राशि 30 दिनों की अनुमत्य समय के भीतर जमा नहीं किए तो आर.आर.सी जारी कर वसूली की जाती है। तथापि वास्तविकता यह है कि स्वीकृत प्रकरणों में विभाग द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान मात्र 0.58 प्रतिशत राशि वसूल की गई।

चूँकि स्वीकृत मामलों में विभाग द्वारा की गई प्रगति बहुत कम है, हम अनुशंसा करते है कि विभाग शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए।

1.12.2.2 विभाग/ शासन द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा किए गए प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा को संबंधित विभाग/शासन को उनसे उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ प्रेषित किया जाता है। इन निष्पादन लेखापरीक्षा पर बर्हिगमन सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया जाता है विभागों/शासन के मंतव्यो को प्रतिवेदनों में समाहित किया जाता है।

नीचे दिये गए कंडिकाओं में **वाणिज्यिक कर विभाग** की निष्पादन लेखापरीक्षा में उठाए गए विषय जो पिछले दस लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए, साथ ही विभाग द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही जो उसके और शासन द्वारा स्वीकृत की गई थी वर्णित हैः

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाआ की संख्या	स्वीकृत अनुशसाओं का विवरण	अद्यतन स्थिति
2003-04	नए उद्योगों के लिए वाणिज्यिक कर की छूट	3	1) योजना के तहत छूट दी गई इकाइयों के प्रदर्शन को नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।	विभाग ने उत्तर दिया (सितम्बर 2010) कि वाणिज्यिक और उद्योग विभाग द्वारा योजना को लागू करते समय सिफ़ारिश से संबन्धित मुद्दों को शामिल किया जा रहा है।
			2) उद्योग और वाणिज्यिक कर विभाग के बीच समन्वय को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि पात्रता प्रमाण पत्र के अनुदान में देरी न हो।	
			3) आंतरिक नियंत्रण तंत्र, आवधिक विवरणियां और निरीक्षण/सर्वेक्षण के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे योजना का दुरूपयोग रोका जा सके।	
2007-08	वाणिज्यिक कर विभाग का कंप्यूटरीकरण	7	1) विभाग को समयबद्ध कार्यान्वयन तैयार कर कम्प्युटरीकृत व्यवस्था लागू कर प्रत्येक मॉड्यूल के लक्ष्य की तारीख तय कर पूरी तरह से बदलाव लाना चाहिए।	विभागीय अधिकारियों की एक समिति ने बिन्दु वार सुझाव के कार्यान्वयन के लिए कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के लिए पूरी तरह से बदलाव करने की योजना तैयार की है।
			2) योजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।	शासन ने सिस्टम विश्लेषक का एक पद, प्रोग्रामर के पाँच पद, सहायक प्रोग्रामर के छह पद और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 167 पदों को स्वीकृत किया है।
			3) केंद्रीय सर्वर से निरंतर सभी सर्कल और अन्य कार्यालयों, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में उन लोगों के लिए कनेक्टिविटी, सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा की जानी चाहिए।	विभाग (सितम्बर 2009) ने कहा कि, कनेक्टिविटी की समस्या को हल कर लिया गया है भविष्य में केंद्रीय सर्वर से निरंतर उपलब्धता के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के साथ अनुबंध किया गया है।
			4) अधिकृत परिवर्तन अनुरोधों एवं की गयी कार्यवाही का दस्तावेज तैयार किया जा सकता है।	मांग और सुझाव के अनुसार सॉफ्टवेयर में बदलाव के लिए एक नीति तैयार की गई है।
			5) चेक पोस्टों के लिए उचित मोड्यूल	विभाग ने कहा कि मेसर्स

			सम्मिलित किए जावे।	सीएमसी लिमिटेड द्वारा चेक पोस्टों के लिए उचित मोड्यूल तैयार किया जा रहा है।
			6) बैक अप प्रक्रियाओं और पहुँच नियंत्रण को मजबूत किया जाना।	विभाग ने कहा कि बैक अप प्रक्रियाओं और पहुँच नियंत्रण के लिए अक्षरांकीय पासवर्ड नीति बनाई गई है और इस संबंध में निर्देश सभी अधिकारियों को जारी किया गया है।
			7) विभाग द्वारा सभी कार्यालयों से स्थापित हार्डवेयर की जानकारी प्राप्त कर, उपलब्ध हार्डवेयर के वार्षिक रखरखाव के लिए अनुबंध करना चाहिए।	विभाग ने कहा कि सभी कार्यालयों से स्थापित हार्डवेयर के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली गई है। वार्षिक रखरखाव के लिए मेसर्स एच.सी.एल. इन्फोसिस्टम, रायपुर के साथ समझौता किया गया है।
विभाग (सितम्बर 2012) ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है जिसके तहत ई- पंजीयन, ई - चालान, सी - फॉर्म और एफ- फॉर्म को ऑन-लाइन पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि घोषणा पत्र ऑन लाइन जारी किया जा सके। सभी फॉर्म वेबसाइट (TINXSYS) पर अपलोड किए जा रहे है।				
2008-09	केन्द्रीय बिक्री कर का आरोपण एवं संग्रह	5	1) प्रति-सत्यापन के लिए घोषणा पत्रों के चयन के लिए मापदंड निर्धारित करना।	घोषणा पत्रों के प्रति-सत्यापन के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है।
			2) शाखा अंतरण/आढत विक्रय पर कर से छूट देने हेतु सांख्यिकी विवरण तैयार करना।	पंजीकरण प्रमाण-पत्र में शाखाओं की प्रविष्टि के संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है।
			3) फॉर्म की उपयोगिता प्रमाण-पत्र वृत्तों द्वारा कर निर्धारण अधिकारियों को प्रतिसत्यापन के लिए प्रेषित करना।	उपयोगिता प्रमाण-पत्र को कर निर्धारण मामलों के साथ संलग्न कर घोषणा पत्र के सत्यापन के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है.
	छ.ग. वाणिज्यिक कर से छ.ग. वैट की ओर पारगमन	4	1) उन सभी पंजीकृत डीलरों की समीक्षा हो जिन्होने तीन साल से विवरण प्रस्तुत नहीं किया।	उन पंजीकृत डीलरों के पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त किए जा रहे है जिन्होने विवरणी प्रस्तुत नहीं की।
			2) डीलरों द्वारा खरीद/बिक्री सूचियों को ऑन-लाइन प्रस्तुत करने के लिए, विकसित किए जा रहे सॉफ्टवेयर में प्रवधान बनाना	उन व्यापारियों के लिए जिनकी वार्षिक सकल बिक्री ₹ 40 लाख से अधिक है, विवरण ऑन लाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।
			3) चेक पोस्टों को मुख्यालय के साथ जोड़ना।	मुख्यालय/वृत्त के साथ चेक पोस्ट जोड़ने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है।
2010-11	अंतर्राज्यीय वाणिज्य या व्यापार के लिए उपयोग किए जा रहे घोषणा	6	1) दूसरे राज्य से घोषणा पत्र फार्म के नमूना प्रति प्राप्त करना चाहिए ताकि कर निर्धारण के समय विश्वसनीयता की जाँच की जा सके।	विभाग ने कहा कि ई-पंजीयन, ई-चालान, सी-फॉर्म और एफ-फॉर्म को ऑन- लाइन पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि घोषणा पत्र को ऑन लाइन

	-पत्रों का प्रतिसत्यापन।		2) वैधानिक फार्म के उपयोगिता प्रमाण पत्र जो कि व्यवसायी द्वारा जमा की गयी है को वृत्तों से सहायक आयुक्त को प्रतिसत्यापन हेतु अग्रेषित करना चाहिये।	जारी किया जा सके। सभी फॉर्म वेबसाइट (TINXSYS) पर अपलोड किए जा रहे है ताकि अंतरर्राज्यीय व्यापार में प्रयोग किए जा रहे घोषणा पत्रों का प्रतिसत्यापन हो।
			3) प्रदत्त छूट/राहत की परिणाम जाँच हेतु डाटाबेस का सृजन करना चाहिये।	
			4) इन फार्मों की स्वीकृति के पहले अनिवार्य जाँच हेतु विभिन्न बिंदुओं पर एक चेकलिस्ट तैयार करना चाहिये।	
			5) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ एवं उनके द्वारा प्रदत्त् निष्पादन को मजबूत करना सुझावों को समयबद्ध सुनिश्चित करना।	
			6) ऑनलॉइन फार्म निर्गत करने की व्यवस्था का पहल करना चाहिए।	
विभाग (सितम्बर 2012) नें कहा है कि सभी सिफ़ारिशों के मामले में विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है एवं कम्प्यूटरीकरण के पर्यवेक्षण के लिए एनआईसी को नियुक्त किया गया है।				

1.13 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.13.1 वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखा परीक्षा की स्थिति

वर्ष 2011-12 के दौरान वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, खनन एवं उत्खनन एवं अन्य कर प्राप्तियों के 111 ईकाइयों[4] के अभिलेखों की नमूना जाँच किया गया और 18,824 मामलों में सम्मिलित ₹ 555.69 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि का अवलोकन किया। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 5,701 मामलों में सम्मिलित राशि ₹ 106.24 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया। इनमें से विभागों ने ₹ 11.86 लाख की वसूली की।

[4]

(₹करोड़ में)

स.क्र.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा की गई इकाईयों की संख्या	प्रकरणों की संख्या	राशि	स्वीकृत प्रकरण	राशि
1	वाणिज्यिक कर	11	118	9.35	03	0.11
2	उत्पाद	06	587	13.92	82	8.28
3	पंजीयन	08	517	4.17	76	0.74
4	परिवहन	09	2423	22.13	2282	19.06
5	भू-राजस्व	38	11962	47.55	2981	26.01
6	खनन एवं उत्खनन	12	2739	375.86	263	51.86
7	वन (प्राप्तियां)	12	335	23.38	14	0.18
8	वन (व्यय)	15	143	59.33	निरंक	निरंक
योग		**111**	**18824**	**555.69**	**5701**	**106.24**

1.13.2 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में **विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण** विषय पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं वन व्यय पर नौ कंडिकाओं सहित 40 कंडिकाएं (जिनका चुनाव इस वर्ष व पूर्ववर्ती अवधि की लेखापरीक्षा जांच में से किया गया है तथा जिनको पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था) सम्मिलित हैं जिनमें राशि ₹ 1,568.91 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है जो कर के कम आरोपण/अनारोपण, शुल्क एवं ब्याज, शास्ति एवं संदेहास्पद/निरर्थक व्यय इत्यादि से संबंधित है। शासन ने ₹ 1,399.13 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की जिसमें से ₹ 88.91 करोड़ की वसूली की गई। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2012)। इनकी चर्चा अनुवर्ती अध्याय दो से आठ में की गई है।

1.14 लेखा परीक्षा [illegible] किए गये संशोधन

लेखा परीक्षा [illegible] विभाग/शासन द्वारा नियमों में किए गये संशोधन जो इस प्रतिवेदन में सम्मिलित है नीचे वर्णित है :

स. क्र.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए प्रेक्षण	अधिसूचना/परिपत्र क्र.	किया गया बदलाव	कंडिका क्र.
1.	परिवहन	बैठक क्षमता का निर्धारण व्हील बेस के आधार पर नही किए जाने से कर का कम आरोपण।	अधि. क्र. 3651/टेक/परि/2012 दिनांक 6 जुलाई, 2012 (छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 158 के उपनियम 3)	व्हील बेस की श्रेणियां तीन से बढ़ाकर नौ कर दिये गये ताकि पंजीयन प्राधिकारी द्वारा सही बैठक क्षमता करारोपण के लिए निर्धारित की जा सके।	5.11
2.	परिवहन	व्यापार-कर वार्षिक रूप से सात के गुणांक गाडियों पर लिया जाता था जिससे स्पष्टता नहीं थी।	प्रा. अधि. क्र. 7296/डी. 197/21-अ/प्रा./छ. ग./11 दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 (छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम 1991 के अधिनियम 4)	अब व्यापार कर प्रत्येक गाड़ी के आधार पर ली जा रही है।	5.13
3.	वणिज्यिक कर	प्रवेश कर की अनुसूची में प्रावधानों के बावजूद प्रवेश कर आरोपित करने हेतु कोई दिशा निर्देश नहीं दिये गये।	परि. क्र. उपा/वाक/प्रवर्तन/2012/ 1477 दिनांक 8 अक्टूबर, 2012 अनुसूची-II छ.ग. प्रवेश कर अधिनियम 1976, (सरल क्र. 49 या 53)	मोबाइल के मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपित किया जाना है।	2.20